like differential interest rate, lead bank schemes, financing of rural industries projects etc; and

(b) if so, the salient findings of such a study with particular reference to the social objectives achieved and non-impairment of the viability of the banks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH) : (a) and : (b) Individual banks have carried out studies to assess the socio-economic impact of their lending operations under different schemes such as the Differential Rate of Interest Scheme and the Employment Promotion Schemes, etc. on different sections of the borrowers. Broadly, their findings reveal that a positive impact of such lending is more pronounced where a cluster approach has been adopted in sanctioning advances to borrowers and their inputs and the marketing of their produce has been properly organised In view of this general experience the banks are now concentrating on area credit schemes which form an integral part of the District Credit Plan under the Lead Bank Scheme. This approach is expected to considerably enlarge the flow of credit to the borrowers without adversely affecting the viability of banks.

Steps to Maintain Price Level

916. DR. BAPU KALDATE :

SHRIMATI MRINAL GORE :

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) whether a Cabinet sub-Committee has been formed to study the rise in prices;

(b) whether this Committee has been meeting regularly ;

(c) if so, what steps it has suggested to maintain the price-level ;

(d) whether Government have implemented these suggestions; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) No, Sir.

(b) to (d) & (e). Do not arise.

भारत से वस्तुओं का निर्यात

917 श्री राम अवधेश सिंह : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात होता है,

(ख) किन वस्तुओं के निर्यात के लिये सरकार राज सहायता देती है, और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ निर्यातकर्ता उत्पादक भी हैं यदि हां, तो उत्पादक- निर्यातकर्ताओं को किस आधार पर राज सहायता दी जाती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) (क) भारत से निर्यात की जाने वाली मदों में विभिन्न किस्मों की वस्तुएं आती हैं। एक सूची संलग्न है जिस में भारत के निर्यात किये जाने वाले प्रमुख उत्पाद समूह/वस्तुएं दर्शायी गई हैं :-

(ख) नकद मुआवजा सहायता निम्नलिखित उत्पाद समूहों की चुनी हुई मदों पर दी जाती है

1 इंजीनियरी माल

2 रसायन तथा सम्बद्ध माल

3 प्लास्टिक का माल

4 संसाधित खाद्य पदार्थ

5 चमड़ा तथा चमड़े का सामान

6 रेशमी सामान

7 रेयन तथा संश्लिष्ट वस्त्र

8 हस्तशिल्प की वस्तुएं जिस में ऊनी कालीन शामिल हैं

9 कयर उत्पाद

10 ऊनी मिश्रित मदें

11 कृषि उत्पाद

12 सूती वस्त्र

13 पटसन उत्पाद

14 खेल कूद का सामान

(ग) जी हां। पटसन माल को छोड़ कर, जिसके लिए विनिर्माताओं को नकद मुआवजा-सहायता सीधे ही दी जाती है, निर्यात के लिये किए गए माल पर नकद मुआवजा सहायता इस बात पर विचार किए बिना ही दी जाती है कि निर्यातक व्यापारी-निर्यातक है अथवा विनिर्माता-निर्यातक है। जिन सिद्धांतों के आधार पर नकद मुआवजा सहायता की दरें निर्धारित की जाती हैं वे निम्नलिखित के रूप में भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने से सम्बन्धित हैं :—(क) वापस न किए गए कर व शुल्क, (ख) पंजीगत माल की ऊंची लागत, (ग) कार्यशील पूंजी पर ब्याज की ऊंची दरें आदि। ये अड़चनें अलग अलग निर्यातकों के लिए अलग अलग हैं चाहे वे उत्पादक हों या व्यापारी हों।

विवरण

भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें

क्रमांक	मदें
1	कृषि तथा सहोत्पाद
2	खली
3	अनिर्मित तम्बाकू
4	मसाले
5	कपास
6	कच्ची पटसन
7	चीनी प्रशाधित तथा शोधित
8	फल तथा सब्जियां
9	गोंद तथा सरेस तथा बालसम
10	लाख
11	सुगंध तेल इत्र, तथा सुवास सामग्री
12	मांस तथा मांस से बनी वस्तुए
13	पशु खालें
14	चावल
15	मछली तथा उस से बनी वस्तुए
16	चाय
17	काफी
18	अयस्क खनिज तथा स्क्रैप
19	लोहा तथा इस्पात स्क्रैप
20,	टैक्सटाइल फैब्रिक्स
21	सूती यान
22	नकली रेशम के वस्त्र तथा संश्लिष्ट वस्त्र तथा स्पनम्लास
23	रेशमी वस्त्र तथा हथकरघा
24	ऊनी वस्त्र
25	मानक वस्त्र विनिर्मित वस्तुएं
26	विविध वस्त्र विनिर्मित वस्तुए
27	कयर तथा पटसन विनिर्मित वस्तुए कयर यार्न तथा उससे विनिर्मित वस्तुए (क) कयर यार्न (ख) कयर मैट्स तथा मैटिंग्स (ग) कयर कालीन तथा फर्श के नमदे
28	पटसन विनिर्मित वस्तुए जिसमें यार्न भी शामिल है
29	चमड़ा तथा चमड़ा विनिर्मित वस्तुएं
30	इजीनियरी माल (क) धातु से बनी वस्तुएं (ख) बिजली के अलावा अन्य मशीनें (ग) बिजली की मशीनें (घ) परिवहन उपस्कर (ङ) अन्य इजीनियरी माल
31	हस्त शिल्प की वस्तुए
32	लोहा तथा इस्पात (मूल)
33	फैरो मैंगनीज तथा दूसरी मिश्र धातुए

बिहार से प्राप्त खानों की रायल्टी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि

918 श्री राम अवधेश सिंह क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और खानों की रायल्टी की कुल राशि का दसवां भाग बिहार प्राप्त होता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में, केन्द्रीय राजस्व में बिहार के अंशदान का 30 वां भाग भी बिहार के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध नही किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो कितने समय में बिहार की पिछली कमी को पूरा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) 1974–75 से 1978–79 के वर्षों की सूचना से यह पता चलता है कि बिहार में खनिजो और उत्पाद राजस्व पर राजशुल्क की वसूली अखिल भारतीय वसूली की लगभग 6 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से राज्यों को केन्द्रीय सहायता कुछेएक उद्देश्यो तथा सम्मत मानदण्डो, जिसे 'गाडगिल फार्मूला' के नाम से जाना जाता है, के आधार पर आवंटित की जाती है और न कि कर और कर भिन्न राजस्व की कुछ मदो से अखिल भारतीय वसूलियो में राज्य के हिस्से के आधार पर। राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में 2,000 करोड़ रुपये की रकम को, जो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओ के छोड़ देने/अंतरण करने से प्राप्त की जाती थी, अब समायोजित सकल जनसंख्या सूत्र के आधार पर विशेष श्रेणी के राज्यो को छोड़कर राज्यो मे आवंटित किया जाना है। इसलिये केन्द्रीय सहायता का शेष पड़ा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस के अलावा राज्यो द्वारा खानो पर राज-शुल्क वसूल किया जाता है तथा रख लिया जाता है जब कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद राजस्व को राज्यो में सांविधिक रूप से बांटा जाता है।

वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फर्म के प्रबंध निदेशक के पुत्र द्वारा सम्पदा कर का भुगतान

919 श्री राम अवधेश सिंह क्या उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फर्म के प्रबन्ध निदेशक श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा की चल-अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य 120 करोड़ रुपये है।